



भारतीय तटरक्षक (रक्षा मंत्रालय) में  
नाविक (जनरल ड्यूटी), नाविक (घरेलू शाखा) और यांत्रिक 02/2021 बैच में  
शामिल होने का अवसर

आवेदन दिनांक **05 जनवरी 2021 (1000 बजे) से 19 जनवरी 2021  
(1800 बजे) तक 'ऑनलाइन' स्वीकार किए जाएंगे**



1. **पात्रता संबंधी शर्तें.** भारतीय तटरक्षक, संघ का सशस्त्र बल, **नाविक (जनरल ड्यूटी), नाविक (घरेलू शाखा) और यांत्रिक के पदों पर भर्ती के लिए अधोलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित आयुसीमा पूरे करने वाले पुरुष भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।**

2. **शैक्षणिक योग्यता.**

(क) **नाविक (जनरल ड्यूटी)** स्कूल शिक्षा के लिए बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10+2 में गणित एवं भौतिकी विषय के साथ उत्तीर्ण।

(ख) **नाविक (घरेलू शाखा)** स्कूल शिक्षा के लिए बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।

(ग) **यांत्रिक** स्कूल शिक्षा के लिए बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल/मेकैनिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ टेलीकम्युनिकेशन (रेडियो/पावर) अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।

**नोट:** - पंजीकरण की तिथि में सीओबीएसई वेबसाइट में अधिसूचित किए गए शिक्षा बोर्ड को ही मान्यता दी जाएगी।

3. **आयु.** कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 22 वर्ष जो इस प्रकार होगा: -

(क) **नाविक (जीडी) और यांत्रिक के लिए. 01 अगस्त, 1999 से 31 जुलाई, 2003** (दोनों तिथियां सम्मिलित) तक की अवधि के दौरान जन्म लेने वाला।

(ख) **नाविक (डीबी) के लिए. 01 अक्टूबर, 1999 से 30 सितंबर, 2003** (दोनों तिथियां सम्मिलित) तक की अवधि के दौरान जन्म लेने वाले।

**नोट:** -अ.जा./अ.ज.जा. के लिए ऊपरी आयुसीमा में 05 वर्षों की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी) अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्षों की छूट तभी लागू होगी जब पद उनके लिए आरक्षित हों।

4. **रिक्तियां.** भर्ती के लिए पदों की श्रेणीवार संख्या निम्नलिखित है: -

| पद                       | अनारक्षित<br>(सामान्य) | ईडब्ल्यूएस | अपिव | अजजा | अजा | कुल |
|--------------------------|------------------------|------------|------|------|-----|-----|
| नाविक (जनरल इयूटी)       | 114                    | 33         | 83   | 7    | 23  | 260 |
| नाविक (घरेलू शाखा)       | 22                     | 6          | 8    | 3    | 11  | 50  |
| यांत्रिक (मेकैनिकल)      | 13                     | 3          | 7    | 4    | 4   | 31  |
| यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल)   | 4                      | 1          | 1    | 0    | 1   | 7   |
| यांत्रिक(इलेक्ट्रानिक्स) | 7                      | 0          | 2    | 0    | 1   | 10  |

**नोट:** (क) ये रिक्तियां अन्तरिम हैं और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध स्थान के आधार पर इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

(ख) आसानी के लिए यांत्रिक (इलेक्ट्रानिक्स/ टेलीकम्यूनिकेशन (रेडियो/पावर) को विज्ञापन में यांत्रिक (इलेक्ट्रानिक्स) के रूप में दर्शाया गया है।

(ग) यदि अजा/अजजा/अपिव (गैर क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कोई रिक्त पद आरक्षित नहीं है, तब भी ऐसे अभ्यर्थी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि वे ऊपरी आयु सीमा में छूट एवं उतीणांकों में छूट के पात्र नहीं होंगे। उस स्थिति में भी अजा/अजजा वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान में छूट प्राप्त है।

5. **चयन प्रक्रिया:-** रंगरूटों का चयन चरण-I, II, III और IV (नीचे पूरा विवरण दिया गया है) में उनके प्रदर्शन के अनुसार और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर तैयार योग्यता क्रमसूची के आधार पर किया जाता है। भारतीय तटरक्षक में भर्ती के लिए चरण-I, II, III, IV में सफलता और प्रशिक्षण में संतोषजनक प्रदर्शन अनिवार्य है। सभी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के चरण-I, II, III एवं IV के दौरान बायोमैट्रिक, फोटो पहचान एवं दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। विभिन्न चरणों का विवरण इस प्रकार है: -

(अ) **चरण- I –लिखित परीक्षा**

(क) आवेदित पद के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नलिखित परीक्षाओं से गुजरना होगा:-

| क्रम सं. | आवेदित पद                | लिखित परीक्षा | उत्तीर्णांक   | अभ्युक्ति   |
|----------|--------------------------|---------------|---|---|
| (i)      | नाविक (घरेलू शाखा)       | भाग I         | 30 (अना/ईडबल्यूएस/अपिव)<br>27 (केवल अजा/अजजा)             |   |
| (ii)     | नाविक (जनरल ड्यूटी)      | भाग (I+II)    | 30+20=50<br>(अना/ईडबल्यूएस/अपिव)<br>27+17= 44 (अजा/अजजा)  | भाग I और II में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।  |
| (iii)    | यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल)   | भाग (I+III)   | 30+20= 50<br>(अना/ईडबल्यूएस/अपिव)<br>27+17= 44 (अजा/अजजा) | भाग I और III में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। |
| (iv)     | यांत्रिक(इलेक्ट्रॉनिक्स) | भाग (I+IV)    | 30+20= 50<br>(अना/ईडबल्यूएस/अपिव)<br>27+17= 44 (अजा/अजजा) | भाग I और IV में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।  |
| (v)      | यांत्रिक (मेकैनिकल)      | भाग (I+V)     | 30+20= 50<br>(अना/ईडबल्यूएस/अपिव)<br>27+17= 44 (अजा/अजजा) | भाग I और V में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।   |

(ख) विभिन्न भागों का विवरण इस प्रकार है: -

| क्रम सं. | परीक्षा का नाम | परीक्षा का विवरण   | विषयवार प्रश्नों की संख्या  | उत्तीर्णांक  | पाठ्यक्रम   |
|----------|----------------|--|---|--|---|
| (i)      | भाग I          | अधिकतम अंक - 60<br>समय - 45 मिनट<br>कुल प्रश्नों की संख्या - 60  | गणित - 20<br>विज्ञान - 10<br>अंग्रेजी - 15<br>तर्कशक्ति-10<br>सामान्य ज्ञान - 5 | 30<br>(अना/ईडबल्यूएस/<br>अपिव श्रेणी)<br>27 (अजा/अजजा<br>श्रेणी के लिए)        | कक्षा 10वीं<br>का पाठ्यक्रम   |
| (ii)     | भाग II         | अधिकतम अंक - 50<br>समय - 30 मिनट<br>कुल प्रश्नों की संख्या - 50  | गणित - 25<br>भौतिकी- 25   | 20<br>(अना/ईडबल्यूएस/<br>अपिव श्रेणी के लिए)<br>17 (अजा/अजजा<br>श्रेणी के लिए) | कक्षा 12वीं<br>गणित एवं<br>भौतिकी का<br>पाठ्यक्रम                     |
| (iii)    | भाग III        | अधिकतम अंक - 50<br>समय - 30 मिनट<br>कुल प्रश्नों की संख्या - 50  | इलेक्ट्रिकल<br>अभियांत्रिकी - 50  | 20<br>(अना/ईडबल्यूएस/<br>अपिव श्रेणी के लिए)<br>17 (अजा/अजजा<br>श्रेणी के लिए) | इलेक्ट्रिकल<br>अभियांत्रिकी<br>के डिप्लोमा<br>स्तर का<br>पाठ्यक्रम    |
| (iv)     | भाग IV         | अधिकतम अंक - 50<br>समय - 30 मिनट.<br>कुल प्रश्नों की संख्या - 50 | इलेक्ट्रॉनिक्स<br>अभियांत्रिकी - 50   | 20<br>(अना/ईडबल्यूएस/<br>अपिव श्रेणी के लिए)<br>17 (अजा/अजजा<br>श्रेणी के लिए) | इलेक्ट्रॉनिक्स<br>अभियांत्रिकी<br>के डिप्लोमा<br>स्तर का<br>पाठ्यक्रम |

|     |       |   |                               |   |  |
|-----|-------|---|-------------------------------|---|--|
| (v) | भाग V | अधिकतम अंक - 50<br>समय - 30 मिनट<br>कुल प्रश्नों की संख्या - 50 | मेकैनिकल<br>अभियांत्रिकी - 50 | 20<br>(अना/ईडबल्यूएस/<br>अपिव श्रेणी के लिए)<br>17 (अजा/अजजा श्रेणी के लिए) | यांत्रिकी<br>अभियांत्रिकी<br>के डिप्लोमा<br>स्तर का<br>पाठ्यक्रम |
|-----|-------|---|-------------------------------|---|--|

**नोट - (i)** भाग I, II, III, IV एवं V के लिए प्रश्नपत्र वैकल्पिक प्रकार का होगा जिसमें प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को सही विकल्प चुनना होगा। लिखित परीक्षा में किसी प्रकार का नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। भाग I, II, III, IV और V के लिए पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट में उपलब्ध है।

(ii) योग्यताक्रम में एकसमान अंक लाने पर नियम - चरण I में दो या अधिक अभ्यर्थियों के एक समान अंक होने की स्थिति में चयन संबंधी निर्णय इस प्रकार लिया जाएगा (एक बार निर्णय हो जाने पर अगला तरीका न अपनाया जाए): -

(कक) भाग -I में अधिक अंक अर्जित करने वाला अभ्यर्थी (केवल नाविक (जीडी) और यांत्रिक के लिए लागू और नाविक (डीबी) के लिए लागू नहीं)

(कख) आवेदित पद के अनुसार अर्हक परीक्षा (नाविक (डीबी) के लिए कक्षा दसवीं, नाविक (जीडी) के लिए कक्षा बारहवीं और यांत्रिक के लिए डिप्लोमा) में अधिकतम कुल प्रतिशत अर्जित करने वाला अभ्यर्थी ।

(कग) अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को योग्यताक्रम में ऊंचा स्थान दिया जाएगा।

**(ब) चरण-II** - कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर एक योग्यताक्रम सूची तैयार की जाएगी और उपलब्ध रिक्तियों एवं भारतीय तटरक्षक के द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार चरण-II के लिए ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। यदि उम्मीदवारों को चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो उन्हें पैरा 6(ग)(iv) एवं पैरा 6(ग)(v) में उल्लिखित अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने होंगे। चरण-II के लिए ई-प्रवेश पत्र तब तक जारी नहीं किए जाएंगे जब तक अभ्यर्थी भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट में दी गयी समयावधि में अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड नहीं करते। चरण - II की अवधि एक से दो दिन की होगी। चरण - II में निम्नलिखित परीक्षाएं होगी जो केवल अर्हता तय करने के लिए होगी अर्थात् या तो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का निर्णय करने के लिए: -

(क) **शारीरिक स्वस्थता परीक्षण** (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण). शारीरिक स्वस्थता परीक्षण से गुजरने वाले अभ्यर्थी अपने जोखिम पर इस परीक्षण में भाग लेंगे। सभी उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे खेलकूद की पोशाक (जूता, टी-शर्ट, ट्राउजर इत्यादि) अपने पास रखें। शारीरिक स्वस्थता परीक्षण इस प्रकार होगा:-

- (i) 1.6 किमी की दौड़ सात मिनट में पूरी करना
- (ii) 20 उठक बैठक
- (iii) 10 पुशअप

शारीरिक स्वस्थता परीक्षण के सभी परीक्षण बिना रुके लगातार संचालित किया जाए। तीनों परीक्षण में किसी के दौरान भी विश्राम लेने की स्थिति में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा।

(ख) **दस्तावेज सत्यापन (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण)**. ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी सूचनाएं मूल दस्तावेजों जैसे कक्षा X/XII/ डिप्लोमा की अंकसूची/फोटो पहचान पत्र/ जाति प्रमाणपत्र/प्रत्येक विषय एवं कुल अंकों से मेल खानी चाहिए। सभी दस्तावेजों एवं आवेदन में नाम, जन्मतिथि एवं माता/पिता का नाम, अंकों की प्रतिशतता, दस्तावेजों की वैधता, जाति प्रमाणपत्र ब्योरे आदि के संबंध में किसी प्रकार की विसंगति से दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में विफल माना जाएगा एवं उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। सभी दस्तावेजों को जारी करने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि हो या आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व की कोई भी तिथि होनी चाहिए। अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर, 21 तक की होनी चाहिए। आवेदन में प्रस्तुत विवरण में, अपलोड किए गए दस्तावेजों (ऑनलाइन आवेदन चरण I एवं II में) में और चरण-II में प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए प्रस्तुत सभी मूल दस्तावेजों में किसी प्रकार की विसंगति होने की दशा में उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(ग) **असंगत प्रतिभागियों का पुनर्मूल्यांकन(उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण)** – असंगत प्रतिभागी वे अभ्यर्थी होते हैं जिनका ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत, उनके द्वारा अर्हक बोर्ड/ डिप्लोमा परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत से 30 प्रतिशत या इससे अधिक होता है। उदाहरणतः यदि नाविक(जीडी) का एक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में 110 अंक (भाग-I में 60 अंक एवं भाग-II में 50 अंक) प्राप्त करता है अर्थात् लिखित परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करता है और 12वीं कक्षा में उसका कुल प्रतिशत 70% या उससे कम हो तो उसे असंगत प्रतिभागी कहा जाता है। असंगत प्रतिभागियों के लिए एक और लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा केवल असंगत प्रतिभागियों के लिए पीएफटी उत्तीर्ण करने के बाद/दस्तावेज सत्यापन के पश्चात् आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा केवल उत्तीर्णांक प्राप्त करने के लिए ही होगी एवं चरण - I की लिखित परीक्षा के ही समान होगी। इस पुनःपरीक्षा में प्राप्त अंकों का अंतिम योग्यताक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि योग्यताक्रम के संबंध में निर्णय केवल चरण - I की लिखित परीक्षा के आधार पर ही लिया जाएगा। हालांकि यदि अभ्यर्थी इस पुनर्मूल्यांकन लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने में विफल रहता है तो उसे अयोग्य/ विफल घोषित कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(घ) **प्रारंभिक चिकित्सीय परीक्षण (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण)** – चिकित्सा अधिकारी अभ्यर्थियों को स्थायी तौर पर अयोग्य या अस्थायी तौर पर अयोग्य के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अभ्यर्थी आरंभिक चिकित्सीय परीक्षण के निष्कर्ष के आधार पर अपील कर सकते हैं। प्रारंभिक चिकित्सीय परीक्षण की समाप्ति के पश्चात् अपील मेडिकल "21 दिनों की अवधि में पूरा किया जाए यदि स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो" अथवा "42 दिनों की अवधि में पूरा किया जाए यदि अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो"। यदि अभ्यर्थी अपील चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य/ विफल घोषित होता है तो कोई पुनः समीक्षा/ अपील स्वीकार्य नहीं होगी। अपील चिकित्सीय परीक्षण के दौरान मिलिट्री अस्पताल में विशेषज्ञ की राय के अलावा कोई अन्य चिकित्सा स्वस्थता प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होगा। प्रारंभिक चिकित्सीय परीक्षण की वैधता केवल छह माह तक होगी। अभ्यर्थी को एक और प्रारंभिक चिकित्सीय जांच

करवानी होगी यदि भर्ती प्रक्रिया में किसी अप्रत्याशित घटना जैसी कोविड महामारी या किसी अन्य स्थिति के कारण विलंब होता है।

**(ग) चरण – III** - चरण-I और चरण-II में प्रदर्शन के आधार पर एक अखिल भारतीय योग्यताक्रम सूची तैयार की जाएगी और चरण-III (आईएनएस चिल्का में अंतिम मेडिकल) के लिए प्रवेश पत्र उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर एवं भारतीय तटरक्षक द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार जारी किया जाएगा। चरण-III की अवधि एक से दो दिन होगी। चरण-III में निम्नलिखित सम्मिलित होगा: -

(क) **दस्तावेज सत्यापन (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण)** ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी सूचनाएं मूल दस्तावेजों जैसे कक्षा X/XII/ डिप्लोमा की अंकसूची/फोटो पहचान पत्र/ जाति प्रमाणपत्र/प्रत्येक विषय एवं कुल अंकों से मेल खानी चाहिए। सभी दस्तावेजों एवं आवेदन में नाम, जन्मतिथि एवं माता/पिता का नाम, अंकों की प्रतिशतता, दस्तावेजों की वैधता, जाति प्रमाणपत्र, ब्योरे आदि के संबंध में किसी प्रकार की विसंगति से दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को विफल माना जाएगा एवं उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। सभी दस्तावेजों को जारी करने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि या आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व की किसी भी तिथि की होनी चाहिए। अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की वैधता कम से कम 31 अक्टूबर, 2021 तक होनी चाहिए। यद्यपि अभ्यर्थी चरण-II के दस्तावेज सत्यापन के दौरान उत्तीर्ण हो किंतु उसे चरण-III के दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी विफल घोषित किया जा सकता है। अपलोड किए गए दस्तावेजों (ऑनलाइन आवेदन चरण-I और चरण-II पर) और चरण-III में प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान प्रस्तुत मूल दस्तावेजों में विसंगति होने की स्थिति में उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

(ख) **आईएनएस चिल्का में अंतिम चिकित्सीय परीक्षण** (अंतिम चिकित्सीय परीक्षण के भाग के रूप में चिकित्सीय परीक्षण की समीक्षा (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) सभी चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम चिकित्सीय परीक्षण आईएनएस चिल्का में की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो आईएनएस चिल्का में अंतिम चिकित्सीय परीक्षण में स्वस्थ नहीं पाए जाते, को प्रशिक्षण के लिए नामांकित नहीं किया जाएगा। आईएनएस चिल्का में अंतिम नामांकन चिकित्सीय परीक्षण के बाद अस्वस्थ (मेडिकली अनफिट) अभ्यर्थियों के लिए "एक अपील" स्वीकार्य होगी और उसे निष्कर्षों के विरुद्ध अपील करने का अवसर दिया जाएगा यदि वे 21 दिनों की अधिकतम अवधि के अंतर्गत तटरक्षक द्वारा या आईएनएस चिल्का द्वारा निर्णित मिलिट्री अस्पताल से चाहते हो। अभ्यर्थी अपील मेडिकल परीक्षण के लिए चयनित मिलिट्री अस्पताल की आवाजाही संबंधी यात्रा खुद के खर्च पर करेंगे।

(ग) **मूल दस्तावेज, पुलिस द्वारा सत्यापन और अन्य संबंधित प्रपत्र को प्रस्तुत करना**. सभी अभ्यर्थियों को चरण-III के ई-प्रवेश पत्र के साथ-साथ मूल दस्तावेजों, पुलिस सत्यापन प्रपत्र एवं अन्य संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को अधिवास के स्थान या निवास स्थान से पुलिस सत्यापन प्राप्त करना होगा। जिन अभ्यर्थियों की बिना पुष्टि वाली पुलिस सत्यापन रिपोर्ट या प्रतिकूल

टिप्पणियों वाली रिपोर्ट होगी, वे नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। पुलिस सत्यापन प्रपत्र हेतु फॉर्मेट को <https://joinindiancoastguard.cdac.in> वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

**(घ) चरण-IV** – अभ्यर्थियों को सभी मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा और भारतीय तटरक्षक द्वारा बोर्ड/विश्वविद्यालय/राज्य सरकारों के माध्यम से सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी को सेवा से हटा दिया जाएगा जब दिए गए दस्तावेज संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणिक नहीं पाया जाता है।

5. आवेदन कैसे करें.

**(क) आवेदन दिनांक से 05 जनवरी 2021 (1000 बजे) से 19 जनवरी 2021 (1800 बजे) तक 'केवल ऑनलाइन'** स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को <https://joinindiancoastguard.cdac.in> में लॉगआन करना होगा और अपने ईमेल आईडी/ मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकृत करने के लिए अनुदेशों का पालन करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनकी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर 31 दिसंबर, 2021 तक वैध रहे।

**(ख) अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकता है अर्थात् एक बार में या तो नाविक (डीबी) या नाविक (जीडी) या यांत्रिक(मेकैनिकल) या यांत्रिक(इलेक्ट्रिकल) या यांत्रिक(इलेक्ट्रॉनिक्स) के लिए आवेदन कर सकता है।** इस विज्ञापन के आधार पर यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अलग-अलग कई आवेदन प्रस्तुत करता है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदनों की पात्रता के संदर्भ में संवीक्षा की जाएगी और यदि किसी भी प्रकार से अपात्र पाया जाता है तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए अभ्यर्थी ईमेल [icgcell@cdac.in](mailto:icgcell@cdac.in) और दूरभाष 020-25503108/020-25503109 पर संपर्क कर सकते हैं।

**(ग) आवेदन में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज** अभ्यर्थियों को दो चरणों में दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कुछ दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन चरण में और कुछ चरण 2 में अभ्यर्थी के लघुसूचीयन के पश्चात अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थियों को आवेदित पद की अपेक्षा के अनुसार मूल दस्तावेजों (छायाप्रति या छायाप्रति की स्व-प्रमाणित प्रति को स्कैन नहीं करना चाहिए) की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी।

**(i) ऑनलाइन आवेदन के दौरान सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज**

(कक) हाल ही का पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ (जो नवंबर 2020 से पहले ना लिया गया हो) (फ्रंट पोर्ट्रेट हल्की पृष्ठभूमि में सिर पर बिना कुछ पहने, केवल सिखों को छोड़कर) फोटोग्राफ इस प्रकार लिया जाए जिसमें अभ्यर्थी एक काली स्लेट अपने सीने पर लगाए खड़ा रहे जिस पर सफेद चाक से स्पष्ट अक्षरों में अभ्यर्थियों का नाम और फोटो लिए जाने की तिथि लिखी हुई हो (कख) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की स्कैन प्रति (कग)बाए हाथ के अंगूठे के छाप की स्कैन प्रति (कघ) जन्म तिथि प्रमाण पत्र (अंग्रेजी या हिंदी में दसवीं कक्षा का अंकपत्र या जन्म का प्रमाण पत्र) (कच) फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड

या वोटर आईडी या पासपोर्ट या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) (कछ) दसवीं कक्षा का अंकपत्र(कज) दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र (कझ) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग/अजा/अजजा/अपिव(गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)(कट) पेरेंट (माता/पिता) या संरक्षक के हस्ताक्षर की स्कैन प्रति यदि आवेदक 18 वर्ष से कम की आयु का हो (कठ) अभ्यर्थी का हस्तलिखित घोषणा पत्र (कड) सेवा प्रमाण पत्र/ अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि अभ्यर्थी भारतीय तटरक्षक में सेवा कार्मिक या सिविलियन कार्मिक के रूप में कार्यरत हो।

(ii) **नाविक(जीडी) अभ्यर्थी के द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज** (कक) 12वीं कक्षा का अंकपत्र (कख) बारहवीं कक्षा का प्रमाण पत्र

(iii) **यांत्रिक (मेकैनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स) अभ्यर्थियों के द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज:-** (कक) 12वीं कक्षा का अंकपत्र (यदि उत्तीर्ण कर लिया हो) (कख) बारहवीं कक्षा का प्रमाण पत्र (यदि उत्तीर्ण कर लिया हो)

(iv) **चरण 2 में लघुसूचीयन के पश्चात अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज** यदि अभ्यर्थी का भर्ती प्रक्रिया के चरण 2 में लघुसूचीयन हो जाता है तो उसे आवेदित पद के अनुसार निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा:-

(कक) **सभी अभ्यर्थी:** (ककक) दसवीं कक्षा के सीजीपीए/ग्रेड को (यदि लागू हो) प्रतिशत में परिवर्तित करने का तरीका, (ककख) सरकारी संगठन से अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि अभ्यर्थी नियोजित कर्मी हो, (ककग) दसवीं कक्षा का अतिरिक्त अंकपत्र, (यदि लागू हो)।

(कख) **नाविक (जीडी) अभ्यर्थी:** (ककक) बारहवीं कक्षा के सीजीपीए/ग्रेड को, (यदि लागू हो) प्रतिशत में परिवर्तित करने का तरीका, (ककख) बारहवीं कक्षा का अतिरिक्त अंक पत्र (यदि लागू हो)।

(कग) **यांत्रिक अभ्यर्थी:** (ककक) बारहवीं कक्षा के सीजीपीए/ग्रेड को (यदि लागू हो) प्रतिशत में परिवर्तित करने का तरीका, (ककख) बारहवीं कक्षा का अतिरिक्त अंकपत्र (यदि लागू हो), (ककग) डिप्लोमा के सभी वर्षों/समेस्टरों का अंकपत्र, (ककघ) डिप्लोमा के सीजीपीए/ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने का तरीका, (ककड) डिप्लोमा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

(v) **चरण 2 में लघुसूचीयन के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची:** (कक) चयनित क्रीड़ा में निपुणता/उपलब्धि के अनुसार प्राप्त खेल-कूद



प्रमाण पत्र (कख) मृत तटरक्षक कार्मिक, यदि लागू हो, का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि अभ्यर्थी तटरक्षक कार्मिक का आश्रित हो) जिसकी मृत्यु सेवा के कारण न हुई हो, (कग) मृत तटरक्षक कार्मिक, यदि लागू हो, का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि अभ्यर्थी तटरक्षक कार्मिक का आश्रित है) जिसकी मृत्यु सेवा के कारण हुई हो, (कघ) एनसीसी प्रमाण पत्र (क/ख/ग) यदि लागू हो।

**नोट:-** (कक) अपने संबंधित कोटे का लाभ उठाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) ईडब्ल्यूएस आवेदकों के मामले में, ऑनलाइन आवेदन में दिए गए वर्तमान या स्थायी पता, जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र (एससी, एसटी एवं ओबीसी(गैर क्रीमी लेयर)) में उल्लिखित पते के समान होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, **भारत सरकार के फार्मेट** के अनुसार होना चाहिए (**कोई अन्य फार्मेट स्वीकार नहीं किया जाएगा**)। (फार्मेट भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट पर उपलब्ध है) इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों के अन्य पिछड़ा वर्ग(गैर क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित फार्मेट के अनुसार होना चाहिए और उसमें क्यूआर/बार कोड होना चाहिए जिससे उसका आनलाइन सत्यापन किया जा सके। अन्य पिछड़ा वर्ग(गैर क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र का फार्मेट भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट पर उपलब्ध है (**कोई अन्य फार्मेट स्वीकार नहीं किया जाएगा**) किसी भी अन्य फार्मेट के प्रयोग से अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। (कख) अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेजों का आकार 10केबी से 100केबी के बीच होना चाहिए।

(कग) अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग(गैर क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र/अंकपत्र/शैक्षिक प्रमाण पत्र) को जारी करने की तिथि 19 जनवरी, 2021 या 19 जनवरी, 2021 से पूर्व की कोई अन्य तिथि होनी चाहिए और दस्तावेज सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेजों की वैधता कम से कम 31 अक्टूबर, 2021 तक की होनी चाहिए।

(कघ) अपलोड किए गए सभी दस्तावेज हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए। अभ्यर्थी को दस्तावेज की मूल प्रति एवं अंग्रेजी में अनुवादित प्रति दोनों को अपलोड करना होगा यदि दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी में न होकर, किसी अन्य भाषा में हो।

(घ) **परीक्षा शुल्क.** अभ्यर्थियों को (अजा/अजजा अभ्यर्थियों को छोड़कर, जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी गई हो) **250/- (दो सौ पचास रुपए मात्र)** नेट बैंकिंग का उपयोग करते हुए या वीजा/मास्टर/मास्ट्रो/रूपे क्रेडिट/ डेबिट कार्ड/ यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मोड पर करना होगा। **परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को जारी किया जाएगा जिन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया हो और जो परीक्षा शुल्क माफी के हकदार हो।**

**नोट:-**(i) एक बार भुगतान के बाद शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए इसे जमा रखा जा सकेगा।

(ii) अजा/अजजा श्रेणी के अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क में माफी के हकदार होंगे। अभ्यर्थियों को भर्ती/प्रशिक्षण के किसी भी चरण में निर्मुक्त/अस्वीकार किया जा सकता है यदि यह पाया जाता

हैं कि परीक्षा शुल्क में छूट/यथा लागू अन्य स्वीकार्य छूट के लिए अजा/अजजा के जाली प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है।

(iii) यदि अभ्यर्थी ने शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया है और उसके खाते से राशि काट दी गयी है (अर्थात् असफल भुगतान) तो कृपया जांच लें कि शुल्क लेनदेन संबंधी मूल खाते में स्वतः वापस हो गयी या कृपया आपके खाते में धनराशि की स्वयमेव वापसी हेतु 15 कार्य दिवस की प्रतीक्षा करें और मूल खाते में लेनदेन की स्थिति की जांच करते रहे।

(iv) यदि एकल आवेदन के संबंध में अभ्यर्थी से कई भुगतान प्राप्त किए जाते हैं तो उसे पंजीकरण की समाप्ति और सभी भुगतान संबंधी अभिलेखों के पुनःमिलान के बाद मूल खाते में पुनः वापस कर दिया जाएगा।

(च) **परीक्षा नगर** – अभ्यर्थी को आवेदन में चरण-I और II प्रक्रिया के लिए परीक्षा नगर के रूप में पांच विकल्प देना होगा।

(छ) **परीक्षा नगर के विकल्प हेतु अजा/अजजा अभ्यर्थियों को अनुदेश.** अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा नगर का **पहला विकल्प** उसके वर्तमान पते से 30 किमी की सीमा में होना चाहिए जहां से उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होगा। यदि अभ्यर्थी के वर्तमान पते से 30 किमी की सीमा में कोई "परीक्षा नगर" न हो तो वर्तमान पते से नजदीकी "परीक्षा नगर" अभ्यर्थी का पहला विकल्प होना चाहिए।

(ज) भारतीय तटरक्षक चरण-I (लिखित परीक्षा) और चरण-II (पीएफटी/मेडिकल) के लिए परीक्षा नगर आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जोकि अभ्यर्थी के दिए गए विकल्पों के अनुसार हो भी सकते हैं, या नहीं भी।

7. **परीक्षा की अनंतिम समय-सारणी और ई-प्रवेश पत्र डाउनलोडिंग। परीक्षा की अनंतिम तिथियां निम्नलिखित हैं:-**

| संवर्ग      | परीक्षा की अनंतिम तिथियां |                            |                      |
|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
|             | चरण-I                     | चरण-II                     | चरण-III एवं IV       |
| नाविक(जीडी) | मार्च 2021 का मध्य/ अंत   | अप्रैल अंत/मई प्रारंभ 2021 | अगस्त 2021 प्रारंभ   |
| नाविक(डीबी) | मार्च 2021 का मध्य/ अंत   | अप्रैल अंत/मई प्रारंभ 2021 | अक्टूबर 2021 प्रारंभ |
| यांत्रिक    | मार्च 2021 का मध्य/ अंत   | अप्रैल अंत/मई प्रारंभ 2021 | अगस्त 2021 प्रारंभ   |

**नोट** –भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट द्वारा तिथि की घोषणा तब की जाएगी जब चरण-I, II और III के लिए ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड हेतु उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थियों को नियमित रूप से वेबसाइट देखने और विभिन्न चरणों के लिए ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु लॉगइन करने का निर्देश दिया जाता है। "ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड के लिए कब उपलब्ध होंगे" के संबंध में अभ्यर्थियों को ई-मेल नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा नगर चरण-I से कम से कम दस दिन पूर्व अभ्यर्थियों के लॉगइन पर प्रदर्शित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के सही पते सहित ई-प्रवेश पत्र अभ्यर्थी के लॉगइन पर उपलब्ध रहेगा और ई-मेल परीक्षा से 02-03 दिन पूर्व पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असफलता

और विभिन्न भर्ती चरणों हेतु रिपोर्टिंग नहीं करने से उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी चरण - I, II & III हेतु ई-प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के संबंध में वेबसाइट पर महत्वपूर्ण भर्ती संबंधी अद्यतन सूचनाएं नियमित रूप से नहीं देख पाते हैं, तो भारतीय तटरक्षक उपरोक्त के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा।

8. **परिणामों की घोषणा.** चयन प्रक्रिया के चरण - I से चरण - III तक के प्रत्येक चरण का परिणाम की जानकारी भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट पर अभ्यर्थी अपने खाते के माध्यम से लागइन करने के द्वारा प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम संभवतः 20 दिनों की सीमा अवधि में घोषित कर दिया जाएगा।

9. **प्रत्येक चरण में आवश्यक दस्तावेजों की सूची.**

**चरण I** – (क) ई-प्रवेश पत्र (चरण-I) का रंगीन प्रिंटआउट (ख) आवेदन में उल्लिखितानुसार फोटो पहचान पत्र (ग) अजा/अजजा उम्मीदवारों को जाति प्रमाणपत्र की मूल प्रति एवं स्वअनुप्रमाणित अजा/अजजा प्रमाणपत्र की दो छायाप्रति, मूल ट्रेन/बस टिकट, एनईएफटी भुगतान के लिए रद्द की गयी चेक की प्रति और परिवहन भत्ते का दावा करने के लिए वेबसाइट से डाउनलोड किया गया यात्रा प्रपत्र अपने साथ लाना होगा।

**चरण II** –(क) "ऑनलाइन आवेदन, चरण-I & II के ई-प्रवेश पत्र" का रंगीन प्रिंटआउट (ख) आवेदन में उल्लिखितानुसार फोटो पहचान पत्र (ग) आवेदनपत्र में प्रस्तुत मूल दस्तावेज एवं चरण II में लघुसूचीयन के पश्चात अभ्यर्थी का लागइन (घ) विधिवत स्व-अनुप्रमाणित सभी मूल दस्तावेजों की तीन छायाप्रति (च) आवेदन में प्रस्तुत पासपोर्ट आकार की रंगीन छायाचित्र की 20 प्रतियां (छ) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी सरकारी संगठन में कार्यरत हैं को नियोक्ता द्वारा जारी अनापति प्रमाणपत्र की मूल प्रति, स्वअनुप्रमाणित चार छायाप्रतियों के साथ प्रस्तुत करना होगा। (यदि लागू हो)

**चरण III** –(क) "ऑनलाइन आवेदन, चरण-I, II और III के ई-प्रवेश पत्र" का रंगीन प्रिंटआउट (ख) आवेदन पत्र में प्रस्तुत मूल दस्तावेज एवं चरण II में लघुसूचीयन के पश्चात अभ्यर्थी का लागइन (ग) विधिवत स्व-अनुप्रमाणित सभी मूल दस्तावेजों की तीन छायाप्रति (घ) आवेदन में प्रस्तुत पासपोर्ट आकार की रंगीन छायाचित्र की 30 प्रतियां (च) 3.5 सेमी x 2.5 सेमी आकार का रंगीन छायाचित्र नीले पृष्ठभूमि के साथ – (10 प्रतियां) (छ) माता/पिता की इच्छुकता संबंधी प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो छायाप्रतियां) (ज) पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो छायाप्रतियां) (झ) परिवार के विवरण से संबंधित प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो छायाप्रतियां) (ट) चरित्र प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो छायाप्रतियां) (ठ) इच्छुकता संबंधी प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो छायाप्रतियां) (ड) अनुप्रमाणन प्रपत्र (संवर्ग के नाम के साथ) – (03 मूल प्रतियां) (ढ) आधार कॉर्ड - (एक मूल प्रति और सात छायाप्रतियां) (ण) पैन कॉर्ड - (एक मूल प्रति और सात छायाप्रतियां) (त) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी सरकारी संगठन में कार्यरत हैं को नियोक्ता द्वारा जारी अनापति प्रमाणपत्र की मूल प्रति, चार छायाप्रतियों के साथ प्रस्तुत करना होगा। (यदि लागू हो) (थ) आवेदन में उल्लिखितानुसार फोटो पहचान पत्र।

**नोट –** (i) भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट में चरण-III के क्रम संख्या (छ) से क्रम संख्या (ड) तक का फॉर्मेट उपलब्ध है।

(ii) चरण I, II & III के दौरान उपरोक्त दस्तावेजों (चरण-I के क्रम संख्या (ग), और चरण- III के क्रम संख्या (ढ) एवं (ण) को छोड़कर) को प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग(गैर क्रीमी लेयर)/ईडबल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा यदि लागू हो।

(iii) सभी छायाप्रतियां को हस्ताक्षर कर स्व-अनुप्रमाणित किया जाए। छायाप्रतियों में अभ्यर्थी के नाम और अनुक्रमांक का विवरण होना चाहिए।

## 10. मेडिकल मानक

(क) भर्ती कार्मिकों के प्रवेश के लिए निर्धारित मेडिकल मानकों के वर्तमान विनियमों के अनुसार प्राधिकृत **सैन्य चिकित्सकों** के द्वारा मेडिकल परीक्षण आयोजित किया जाएगा ।

(ख) **ऊंचाई** न्यूनतम ऊंचाई 157 सेमी. है । जिन अभ्यर्थियों का अधिवास असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह (जनजाति) है। उनको 05 सेमी तक ऊंचाई के मानकों में छूट दिया जा सकता है। लक्षद्वीप अधिवास वाले अभ्यर्थियों को 02 सेमी तक ऊंचाई के मानकों में छूट दिया जा सकता है।

(ग) **सीना** अनुपातिक होना चाहिए । न्यूनतम फुलाव 5 सेमी।

(घ) **वजन** आयु तथा ऊंचाई के अनुसार  $\pm 10$  प्रतिशत स्वीकार्य ।

(ङ) **श्रवणशक्ति** सामान्य ।

**टिप्पणी (i)** अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे चिकित्सीय परीक्षण से पहले अपने कान एवं दाँत अच्छे से साफ कर लें।

**(ii)** ऐसे उम्मीदवारों को जो ऊंचाई संबंधी मानकों में छूट चाहते हैं अपना अधिवास प्रमाणपत्र मेडिकल ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसे उम्मीदवार अधिवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर पाए तो उन्हें ऊंचाई के मानकों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

(च) **टैटू** शरीर के किसी भी भाग में स्थायी टैटू की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, भारत सरकार के द्वारा घोषित जनजातीय क्षेत्रों के समुदायों से आने वाले अभ्यर्थियों को कुछ छूट प्रदान की जाएगी। अन्य अभ्यर्थियों के लिए शरीर पर स्थायी टैटू केवल अग्रभुजा के अंदर की ओर अर्थात् कोहनी के आंतरिक भाग से कलाई तक और हथेली के उल्टे ओर/ हाथ के पिछले भाग (डॉर्सल) में ही मान्य होगा। इस संबंध में विस्तृत विवरण भारतीय तटरक्षक के भर्ती वेबसाइट

<https://joinindiancoastguard.cdac.in> पर उपलब्ध है।

**टिप्पणी:-** उपरोक्त मेडिकल मानकों वाले अभ्यर्थी ही कवेल चयन के लिए उपस्थित हो। उपरोक्त मानकों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। नाविक(जीडी/डीबी) एवं यांत्रिक के मेडिकल मानकों के संबंध में भारतीय तटरक्षक का आदेश ही अंतिम प्राधिकार होगा। भारतीय तटरक्षक के इसी स्तर पर किसी पूर्व भर्ती के दौरान आर्म्ड फोर्स अस्पताल द्वारा स्थायी रूप से मेडिकली अनफिट घोषित कर दिये गये अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन न करें।

11. **प्रशिक्षण** आईएनएस चिल्का में मूलभूत प्रशिक्षण नाविक (जीडी) एवं यांत्रिक के लिए अगस्त 2021 में तथा नाविक(डीबी) के लिए अक्टूबर 2021 में शुरू होगा जिसके बाद उन्हें आवंटित ट्रेड में समुद्री तथा वृत्तिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मूलभूत प्रशिक्षण में प्रदर्शन तथा सेवा की आवश्यकतानुसार शाखा/ट्रेड का आबंटन किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी समय उनकी प्रगति जिसमें शिक्षा संबंधी प्रगति भी शामिल है, या व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर नाविकों(जीडी/डीबी)/यांत्रिकों को अनुपयुक्त करार देकर भारमुक्त किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तुत आनलाइन आवेदन या दस्तावेज भर्ती के किसी भी चरण में असत्य पाये जाने पर भी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के किसी भी चरण पर भारमुक्त किया जा सकता है।

12. **सामान्य दिशानिर्देश:-**

(क) अनुशासन के आधार पर किसी दूसरे प्रशिक्षण केंद्र से हटाए गए अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के पात्र न होंगे।

(ख) अभ्यर्थियों को किसी भी न्यायालय में आपराधिक आरोप पर गिरफ्तार, दोषी या अभियोजित नहीं हुआ होना चाहिए। दांडिक कार्यवाहियों का सामना कर रहे अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करने से विवर्जित किया जाता है।

(ग) चरण-II के दौरान प्रस्तुत सभी मूल प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी को वापस किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी ने चरण III उत्तीर्ण कर लिया है तो चरण III के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत सभी मूल प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र भारतीय तटरक्षक द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा या यदि अभ्यर्थी को चरण III में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया तो सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी को सभी मूल प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र वापस किए जाएंगे।

(घ) किसी विशेष बैच के लिए अभ्यर्थी का चयन सिर्फ उसी बैच के लिए वैध होगा। ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनका नाम अंतिम चयनसूची में ना हो, अगले बैच में प्रवेश का दावा नहीं कर सकता। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में नए सिरे से सम्मिलित होना होगा बशर्ते कि वे नए बैच के लिए पात्रता मानदंड पूरा करें।

(च) डाक द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(छ) चरण-II में प्रारंभिक चिकित्सीय परीक्षण पास कर चुके एवं रिक्तियों के अनुसार योग्यता क्रमसूची में स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को ही चरण-III के लिए ई-प्रवेश पत्र भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आईएनएस चिल्का का प्रशिक्षण संस्थान खुद के खर्च पर पहुँचना होगा। असफल अभ्यर्थियों को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा।

(ज) इस बैच की भर्ती/नामांकन के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ का 31 दिसंबर 2021 के बाद प्रत्युत्तर नहीं दिया जाएगा।

(झ) परीक्षण प्रक्रिया के दौरान नकल करना/अनाचार सहित अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त होने का परिणाम निरर्हता होगा। नकल करने/अनाचार करने के संबंध में भारतीय तटरक्षक का निर्णय अंतिम होगा और सभी अभ्यर्थियों को बाध्य करेगा।

(ट) नामांकन से पूर्व, पात्रता के लिए आवेदन तथा मूल दस्तावेजों की और समीक्षा की जाएगी तथा यदि भर्ती के किसी भी चरण में और सेवा में शामिल होने के बाद भी किसी भी रूप से अभ्यर्थी अपात्र पाया गया तो उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ठ) एआईसीटीई/सीओबीएसई से मान्यता न प्राप्त 'मुक्त विद्यालय' संस्थानों के अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं है।

(ड) परीक्षा नगर उन्हीं अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन में दिए गए विकल्पों के अनुसार आवंटित किया जाएगा जिन्होंने परीक्षा शुल्क का सफल भुगतान कर (अजा/अजजा अभ्यर्थियों को छोड़कर जिन्हें परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है) सफलतापूर्वक आवेदन प्रस्तुत किया हो। एक ही परीक्षा नगर का विकल्प अनेक अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने की स्थिति में, तटरक्षक को किसी अन्य परीक्षा नगर आवंटित करने का अधिकार है जो अभ्यर्थी के विकल्पों की सूची में हो भी सकता हो या नहीं भी।

(ढ) तटरक्षक को किसी एक केंद्र में परीक्षा निरस्त करने एवं उस परीक्षा को किसी अन्य केंद्र में किसी अन्य तिथि में कराने का अधिकार है।

(ण) तटरक्षक को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में इस बैच के संपूर्ण भर्ती को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार है।

(त) परीक्षा के दौरान मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। तटरक्षक ऐसे किसी भी सामग्री को अनुचित साधन मानता हैं। यदि परीक्षा के चरण-I, II एवं III के दौरान किसी अभ्यर्थी को मोबाइल, ब्लूटूथ या इसी प्रकार के किसी दूसरे स्कैनिंग साधन के साथ पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी तथा विधि के अनुसार तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी जिसमें प्राथमिकी रिपोर्ट की प्रक्रिया शामिल हो।

(थ) तटरक्षक किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी कारणवश परीक्षा स्थान/कक्ष छोड़ने या शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(द) परीक्षा स्थान में प्रवेश करने से पहले सभी अभ्यर्थियों की तलाशी ली जाएगी।

(ध) सभी अभ्यर्थियों को सावधान रहना चाहिए तथा किसी अन्य अभ्यर्थी के संदेहास्पद गतिविधियों की जानकारी तत्काल ही निरीक्षक को देनी चाहिए।

(न) आनलाइन द्वारा सफलतापूर्वक पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों के पास वैध ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। भारतीय तटरक्षक द्वारा अभ्यर्थियों के साथ संपर्क का माध्यम ईमेल, मोबाइल पर एसएमएस एवं भारतीय तटरक्षक वेबसाइट रहेगा। भर्ती कार्यक्रम में किसी प्रकार के परिवर्तन संबंधी जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने ईमेल एवं भारतीय तटरक्षक के वेबसाइट को नियमित रूप से अवलोकन करते रहे। अपने ईमेल एवं भारतीय तटरक्षक के वेबसाइट को नियमित रूप से अवलोकन न करने से अभ्यर्थी विभिन्न भर्ती चरणों में शामिल नहीं हो पाता तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। **भारतीय तटरक्षक की भर्ती वेबसाइट में दर्शाए**

अपडेट एवं ईमेल का प्रत्युत्तर न देने से अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। यदि अभ्यर्थी ईमेल द्वारा भेजे गए महत्वपूर्ण भर्ती सूचनाओं एवं वेबसाइट को नियमित रूप से अवलोकन करने से चूकता है तो भारतीय तटरक्षक इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

(प) अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन ध्यान से भरना होगा क्योंकि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती।

(फ) अभ्यर्थियों को अपना यथा लागू जाति संबंधी विवरण (एससी/एसटी/ओबीसी/ ईडबल्यूएस) ध्यान से भरना होगा क्योंकि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन में जाति का गलत विवरण घोषित किए थे और बाद में सामान्य श्रेणी अभ्यर्थी के रूप में लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति मांगी। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिए गए गलत घोषणा के कारण यह मान्य नहीं है और परिणामस्वरूप भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में एवं सेवा में शामिल होने के बाद भी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

(ब) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आनलाइन आवेदन को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना ही समय पर आवेदन प्रस्तुत करें।

(भ) चरण-I, II एवं III के ई-प्रवेश पत्र में उल्लिखित तारीख एवं समय पर रिपोर्ट न करने पर अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

(म) भारतीय तटरक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रतिरूपण को गंभीरता से लेता है और आवेदक एवं परोक्षी के विरुद्ध प्राथमिकी/दांडिक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

(य) अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थान में किसी भी प्रकार के अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए या न ही अशांति उत्पन्न करना चाहिए। किसी भी प्रकार के अभद्र व्यवहार करने वाले अभ्यर्थियों को भारतीय तटरक्षक के वर्तमान एवं भावी परीक्षाओं में उपस्थित होने से रोका जाएगा। आनलाइन परीक्षा(चरण-I), पीएफटी/पुनर्निर्धारण परीक्षा/प्रारंभिक चिकित्सीय परीक्षण (चरण-II) आईएनएस चिल्का में अंतिम चिकित्सीय परीक्षण (चरण-III) एवं मूल दस्तावेजों का सत्यापन (चरण-IV) में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में भारतीय तटरक्षक का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों को बाध्य करेगा।

(र) भारतीय तटरक्षक उन अभ्यर्थियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो अंतिम तिथि तक या भारतीय तटरक्षक के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अपना आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।

(ल) अभ्यर्थियों को यह नोट करना चाहिए कि परीक्षा में उनका दाखिला उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना के आधार पर पूर्णतः अनंतिम होगा। यह भारतीय तटरक्षक द्वारा सभी पात्रता संबंधी शर्तों के सत्यापन पर आधारित होगा। अभ्यर्थी को जारी किए गए प्रवेश पत्र का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी को भारतीय तटरक्षक द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया है या प्रारंभिक परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन में की गई प्रविष्टियों को भारतीय तटरक्षक द्वारा सत्य एवं सही मान लिया गया है। अभ्यर्थी यह नोट करें कि भारतीय तटरक्षक अभ्यर्थी की पात्रता संबंधी शर्तों का मूल दस्तावेजों के संदर्भ में सत्यापन तभी करेगा जब वह चरण-II/ चरण-III में उत्तीर्ण हुआ हो।

संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालयों से दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात जब तक भारतीय तटरक्षक द्वारा अभ्यर्थी की सेवा में औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जाती, तब तक उसकी उम्मीदवारी अनंतिम ही मानी जाएगी। परीक्षा में दाखिले के लिए अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में भारतीय तटरक्षक का निर्णय अंतिम होगा।

(व) परीक्षा के आयोजन में कुछ समस्याओं के प्रकटन की संभावना को पूर्णतः इनकार नहीं किया जा सकता है जो परीक्षा एवं परिणाम को प्रभावित कर सकता है। उस स्थिति में, तत्संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थियों की मूवमेंट, परीक्षा में देरी शामिल हो सकता है। पुनःपरीक्षा का आयोजन भारतीय तटरक्षक/ परीक्षा संचालन निकाय के पूर्ण विवेक पर होगा। अभ्यर्थी पुनःपरीक्षा का कोई दावा नहीं कर सकता। परीक्षा की विलंबित प्रक्रिया में शामिल होने या स्थानांतरित होने के लिए अनिच्छुक अभ्यर्थी को पूर्णतः अस्वीकार किया जाएगा।

(श) कृपया नोट करें कि उक्त विज्ञापन पर यदि कोई शुद्धि-पत्र जारी होगा, तो उसे केवल <https://joinindiancoastguard.cdac.in> वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को किसी भी शुद्धि-पत्र के लिए वेबसाइट पर नियमित रूप से देखना होगा। यदि अभ्यर्थी वेबसाइट पर जारी शुद्धि-पत्र को देखने से चूकता है और तदनुसार कार्य नहीं करता या आवश्यक शुद्धि पत्र का अनुपालन नहीं करता तो उसके लिए भारतीय तटरक्षक उत्तरदायी नहीं होगा।

13. **यात्रा व्यय:-** ऐसे अजा/ अजजा अभ्यर्थी, जो केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत न हो, को ट्रेन के दूसरे दर्जे का साधारण किराया/ सरकारी बस/ स्टीमर के द्वारा निकटतम दूरी से तय यात्रा के किराये की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार के विनियमों के अनुसार मूल टिकट के प्रस्तुतीकरण पर की जाएगी, यदि अभ्यर्थी का गृहस्थान परीक्षण स्थान(चरण-I) से 30 किमी से अधिक की दूरी पर हो। अजा/ अजजा उम्मीदवारों को भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट से यात्रा प्रपत्र डाउनलोड करना होगा और उसे भारतीय तटरक्षक को प्रस्तुत करना होगा।

14. **वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ:-**

(क) **नाविक (जनरल इयूटी):- 21700/- (वेतन लेवल-3)** के मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता और वर्तमान विनियमों के अनुसार कर्तव्य की प्रकृति/ तैनाती के स्थान के आधार पर अन्य भत्ते।

(ख) **नाविक (घरेलू शाखा). 21700/- (वेतन लेवल-3)** के मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता और वर्तमान विनियमों के अनुसार कर्तव्य की प्रकृति/ तैनाती के स्थान के आधार पर अन्य भत्ते।

(ग) **यांत्रिक. 29200/- (वेतन लेवल-5)** का मूल वेतन। इसके अतिरिक्त आपको @ **6200/-** की दर से यांत्रिक भत्ते के साथ महंगाई भत्ता और वर्तमान विनियमों के अनुसार कर्तव्य की प्रकृति/ तैनाती के स्थान के आधार पर अन्य भत्ते दिए जाएंगे।

15. **पदोन्नति एवं अनुलब्धियां:-**

(क) 47600/- के वेतनमान (वेतन लेवल - 8) एवं ` 6200/- की दर से यांत्रिक भत्ता एवं महंगाई भत्ते के साथ **प्रधान अधिकारी/प्रधान सहायक इंजीनियर** के रैंक तक पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं। अफसर कैडर पर पदोन्नति निष्पादन तथा उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(ख) **अन्य लाभ**



- (i) वर्तमान नियमों के अनुसार मुफ्त राशन, मुफ्त समवस्त्र। स्वयं तथा आश्रित माता-पिता सहित परिवार को मुफ्त मेडिकल उपचार।
- (ii) नाममात्र लाईसेंस शुल्क पर स्वयं तथा परिवार के लिए सरकारी आवास या सरकार द्वारा स्वीकृत मकान किराया भत्ता।
- (iii) प्रति वर्ष 45 दिन का अर्जित अवकाश, 08 दिन का आकस्मिक अवकाश, सरकारी नियमानुसार स्वयं, परिवार तथा आश्रित माता-पिता के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)
- (iv) अंशदायी पेंशन योजना तथा सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी।
- (v) कैंटीन एवं अन्य ऋण सुविधाएँ।
- (vi) सेवानिवृत्ति के बाद ईसीएचएस मेडिकल सुविधाएं।

(ग) **बीमा सुरक्षा.** भर्ती कार्मिकों के लिए 50 लाख की बीमा सुरक्षा(अंशदान पर आधारित) लागू है।

**टिप्पणी:-** वेतन, अनुलब्धियां, पदोन्नति, बीमा सुरक्षा एवं अन्य लाभ सरकारी आदेश के अनुसार परिवर्तनीय है।

\* पूर्ण अद्यतन जानकारी के लिए अभ्यर्थी तटरक्षक की भर्ती वेबसाइट <https://joinindiancoastguard.cdac.in> देखें। यह विज्ञापन केवल जानकारी के लिए दिया जा रहा है। इस विज्ञापन का अंग्रेजी भाषा संस्करण सभी प्रकार से नियंत्रित होगा और हिन्दी संस्करण के साथ किसी भी प्रकार की विसंगतियों (यदि कोई हो) के मामले में प्रबल होगा।

**चेतावनी:** भारतीय तटरक्षक में चयन योग्यता के आधार पर और निष्पक्ष रूप से किया जाता है। अभ्यर्थी ऐसे अनैतिक व्यक्तियों के संपर्क में न आवें जो स्वयं को भर्ती एजेंट कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत के लिए अभ्यर्थी निदेशक (भर्ती) तटरक्षक मुख्यालय, भर्ती केंद्र, नोएडा से दूरभाष - 0120-2975817 पर संपर्क कर सकते हैं।

### अस्वीकृतिकरण

विज्ञापन में दी गई शर्तें एवं नियम, दिशानिर्देश मात्र हैं और भर्ती प्रक्रिया के दौरान सरकार द्वारा जारी आदेश लागू होंगे जिनका समय-समय पर संशोधन किया जाता है।



ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए

**ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि -19 जनवरी 2021 (1800 बजे)**